राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भारतीय भाषाओं की भूमिका

डॉ0 रतन कुमारी वर्मा*

भारतीय भाषायें दुनिया की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और भावबोधक भाषाओं में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। इन भाषाओं का प्रयोग लाखों लोग प्रतिदिन अपने जीवन में नियमित रूप से करते हैं। भारतीय भाषायें विभिन्न आंचलिक क्षेत्रों और पीढ़ियों की सदियों पुरानी संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान बनाये हुए हैं। विभिन्न आंचलिक भाषाओं, आदिवासी भाषाओं को संरक्षण दिया जाना और उनका संवर्धन किया जाना बहुत आवश्यक है। इन सभी भारतीय भाषाओं को विश्व की अन्य भाषाओं की तरह बराबर सम्मान भी मिलना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनमानस में भाषा संबंधी जागरूकता लाना आवश्यक होगा। ''ठीक उसी तरह जैसे तकनीकी रूप से विकसित देशों (जैसे साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, हालैंड) ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जूझते हुए किया है।''[1]

किसी भी राष्ट्र के लिए भाषा उसका प्राण तत्व है। भारत बहुभाषाई राष्ट्र है। ''भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार देश में 22 प्रमुख भाषायें हैं। ये बाइस भाषायें हैं–

''असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिन्धी, तमिल, तेलगु व उर्दू।''[2]

स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के दौरान मुक्तिकामी सभी स्वतंत्रता सेनानियों को एक सूत्र में पिरोने का काम हिन्दी भाषा कर रही थी। क्योंकि अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिन्दी बोलने एवं समझने वालों की संख्या अधिक थी। हिन्दी भाषा की सहजता, सरलता और वैज्ञानिकता सभी को एक सूत्र में बाँधने का कार्य कर रही थी। आजादी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था एक ऐसी भाषा हो जिसे सभी बोल व समझ सकें। इसी भाषा की चेतना की तरफ प्रतापनारायण मिश्र ने ध्यान आकर्षित करते हुए कहा–

***एसो0प्रो0 एवं अध्यक्ष–हिन्दी विभाग जगत तारन गर्ल्स पी0जी0 कालेज, प्रयागराज**

''चहहु जु सॉचहु निज कल्यान, तौ सब मिलि भारत सन्तान।
जपौ निरन्तर एक जबान, हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान।।''[3]

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी कहा–

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल।।''[4]

राष्ट्र की उन्नति के लिए भाषा का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। हिन्दी को अपने शैशव काल में ही विदेशी भाषाओं से टकराहट झेलनी पड़ी। मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप जब देश में मुस्लिम सत्ता कायम हुई तो उसी के साथ फारसी भाषा भी प्रतिष्ठित हुई। फारसी शासकों की भाषा थी, हिन्दी शासितों की भाषा बनी। हिन्दी व्यापक जन–जीवन से जुड़ी थी, अतः इसका प्रचार–प्रसार बराबर बना रहा। बहुत से शासकों ने भी इसकी अस्मिता तथा शक्ति को अच्छी तरह से पहचाना था। ''काश्मीर का शासक जैनुलाबुद्धी ने 1420 ई0 में फारसी के साथ हिन्दी और तिब्बती का ज्ञान प्राप्त किया था।''[5] अधिकांश भारतीयों के द्वारा हिन्दी भाषा का प्रयोग किये जाने के कारण कई शासकों ने इसके महत्व को समझा। ब्लाखमैन ने कलकत्ता रिव्यू में लिखा है ''सभी दस्तर–उल अमलों से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रारम्भ से लेकर अकबर के शासनकाल के मध्य तक सभी सरकारी कागजात हिन्दी में रखे जाते थे।''[6] इतिहास में इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि – ''सिकन्दर लोदी के शासनकाल में हिन्दू कर्मचारियों के लिए फारसी सीखना इसलिए अनिवार्य नहीं था क्योंकि हिन्दी में भी लिखने का रिवाज़ था।''[7]

अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजों ने अपने कार्य व प्रशासन के लिए अंग्रेजी का प्रचार किया तथा इसे सरकारी कार्य व शिक्षा का माध्यम बनाया। लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लेते हुए अंग्रेजी के माध्यम से यूरोपीय साहित्य व विज्ञान की शिक्षा देने की वकालत की। भारतीय संविधान के राजभाषा नामक भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक भाषा सम्बन्धी प्रावधान मुख्यतः संघ व राज्यों की राजभाषा से सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद 351 में हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार तो किया गया परन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह निश्चय किया गया कि हिन्दी धीरे–धीरे केन्द्र सरकार की राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान प्राप्त कर ले। खेद का विषय है कि अनेक कारणों से स्वतंत्रता के 72 वर्षों के बाद भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हो सका। फलत राष्ट्र को राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा की समस्या के रूप में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किस भाषा को राष्ट्र भाषा का स्थान दिया जाए? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा प्राचीन भाषाओं को कैसे सम्मान जनक स्थान दिया

जाए? शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय? हमारे राष्ट्र में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कितनी भाषायें पढ़ाई जाएँ?

भाषा समबन्धी समस्या के समाधान के लिए सन् 1956 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने भाषा सूत्र प्रस्तुत किया। इस सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य बनाने का सुझााव दिया गया। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों को दिया गया। इस सूत्र के अनुसार ''हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी, अंग्रेजी व कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा को वरीयता देते हुए पठन–पाठन में अपनाया जाए। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी क्षेत्रीय भाषा व अंग्रेजी को पढ़ाया जाना चाहिए।''[8] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 तथा राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 में इसी त्रिभाषा सूत्र के अनुसरण का पुनः संकल्प लिया गया।''[9] इन सभी शिक्षा नीतियों में क्षेत्रीय भाषाओं को विश्वविद्यालयी शिक्षा का माध्यम बनाने तथा संस्कृत व अन्य प्राचीन भाषाओं के विकास की बात भी की गई है। स्पष्ट है कि सभी ने यह स्वीकार किया है कि मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं को अवश्य ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाये। जबकि प्राचीन भाषाओं को जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू आदि को विविध पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक विषयों के रूप में अध्ययन–अध्यापन में अपनाया जाये।

''राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्पष्ट उद्देश्य है सभी को शिक्षित बनाना। सभी को रोजगार से जोड़ना है। 2025 तक 50% छात्रों तक व्यावसायिक शिक्षा को पहुँचाना है।''[10] व्यापक स्तर पर शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से लागू करने में भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत जैसे बहु भाषा भाषी देश में प्रत्येक भाषा को सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों, राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को और अधिक मजबूती मिले। इसके लिए भाषा के अध्ययन एवं अध्यापन पर विशेष ध्यान देना होगा।

भाषा के अध्ययन के संदर्भ में दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाना होगा। केवल 15% अंग्रेजी जानने वाले लोगों को 85% हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा जानने वाले लोगों पर श्रेष्ठ बनने का मौका नहीं देना चाहिए, अपितु विश्व इतिहास से शिक्षा ग्रहण करते हुए यह मानना अति आवश्यक है कि जब तक हम भारतीय मातृभाषा, स्थानीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, प्राचीन भाषा, आदिवासी भाषा के अध्ययन–अध्यापन के लिए उचित माहौल नहीं तैयार करेंगे, उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तब तक देश की वास्तविक अर्थों में उन्नति नहीं हो सकती।

भारत में अपनी सांस्कृतिक विरासत का अत्यन्त समृद्ध भण्डार है। परन्तु भारतीय भाषाओं में अकादमिक साहित्य और उच्चगुणत्तायुक्त पुस्तकों की अभी भारी कमी है। मातृभाषा में भारतीय भाषाओं की मौलिक पुस्तकों की कमी है। मातृभाषा में उपलब्ध मौलिक पुस्तकों के प्रचार–प्रसार की भी भारी कमी है। इसकी वजह से अधिकांश छात्र मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में विचार, अनुसंधान या व्याख्यान देने का विकास नहीं हो पाता है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उपलब्ध पुस्तकों का अन्य भाषा में भी अनुवाद होना चाहिए। अकादमिक कार्यों का भी अनुवाद होना चाहिए। यह कार्य केवल कुछ स्थानीय लोगों पर न छोड़कर अन्य लोगों को भी इससे जोड़ना चाहिए। सरकार तथा लोककल्याणकारी संस्थाओं, व्यक्तिगत प्रयासों से मातृभाषा में तथा स्थानीय भाषा में मौलिक पुस्तकों के सृजन, कहानियों, कविता, एकांकी, निबंध, आलोचना के साहित्यिक भण्डार को भी समृद्ध करना चाहिए। निरन्तर नये साहित्यिक सामग्री का सृजन भी आवश्यक है। जैसे–जैसे विभिन्न दिशाओं में ज्ञान का विकास हो रहा है, वैसे–वैसे सभी भारतीय भाषाओं में पर्याप्त शब्दावली को भी जोड़ते रहने की जरूरत है। जिससे ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नित नये विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर साहित्य सृजन होता रहे, साहित्य समृद्ध होता रहे। जैसे कि ''फ्रांस में बाकायदा विशेषज्ञों की ऐसी अकादमी है जो केन्द्रीय और राज्य स्तर पर इन भाषाओं की गति और विकास में मदद करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, बिना स्थानीय वैविध्य के साथ कोई छेड़छाड़ किये। ऐसा ही भारत में भी होना चाहिए।[11]

शिक्षा संस्थाओं के कार्यक्रम में यह भी शामिल होना चाहिए कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चस्तर की गुणवत्ता से युक्त अकादमिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। इसके द्वारा वृहत् स्तर पर शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को जोड़ा जाय। हर उच्च शिक्षा संस्थान में भारतीय भाषाओं और उनकी साहित्यिक परम्पराओं के संकाय विभाग स्थापित किये जायें। ये विभाग भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। इन शिक्षकों को देशभर के स्कूलों में भेजा जाय ताकि देश के बच्चे अपनी मातृभाषा अच्छे से सीख सकें। उनका ज्ञान समृद्ध हो। इससे राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को मजबूत करने का पाठ पढ़ाया जा सकता है। यह चक्र शिक्षा व्यवस्था द्वारा भारतीय भाषाओं, सांस्कृतिक विरासत और परम्पराओं के विकास और जीवंतता को बनाये रखने में मदद करेगा। हमारे बच्चों तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित और संरक्षित करना होगा।

उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं और साहित्य के उच्च गुणवत्तायुक्त और सशक्त जो कार्यक्रम चलाये जायें वे केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं तक ही सीमित न रहें अपितु उसमें अन्य भाषायें, आदिवासी भाषायें भी शामिल की जाये। 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड0 कार्यक्रमों के माध्यम से भाषा शिक्षण को मजबूत किया जा सकता है।

सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थानीय भारतीय भाषा के अलावा तीन भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण संकाय को नियुक्त किया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं, साहित्य, भाषा शिक्षण और सम्बन्धित सांस्कृतिक क्षेत्रों में शोध कार्य को बढ़ावा मिलना चाहिए। शोध कार्य के लिए NRF की ओर से पर्याप्त अनुदान द्वारा सहायता मिलनी चाहिए।

शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण के लिए जैसे–पालि, फारसी व प्राकृत भाषाओं के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किये जायें। इन्हें विश्वविद्यालयों में स्थापित किया जाय। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाये।

भारतीय भाषाओं में शब्दावली के विकास के लिए जो अनुशंसा CSTT के द्वारा दी गई है वह सिर्फ भौतिक विज्ञान तक सीमित न रहे बल्कि उसे और व्यापक बनाया जाये। उसमें विभिन्न विषयों को शामिल किया जाये। ऐसा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी विशेषज्ञों की लगातार मीटिंग्स व पर्याप्त अनुदान की आवश्यकता है ताकि ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिले। इसी तरह क्षेत्रीय निकाय व अकादमियों को भी स्थापित किया जाय। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल तथा अन्य भाषाओं के विकास के लिए राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश के स्तर पर भी संचालित किये जायें। सभी में समन्वय हो। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार सभी के स्तर पर समन्वयात्मक ढंग से परामर्श करके कार्य हो। हर तीन साल बाद नये शब्दों के साथ शब्दकोषों का प्रकाशन हो। इन संस्थानों द्वारा विकसित की गई शब्दावली का विद्यालय एवं विश्वविद्यालय के स्तर पर एकीकृत रूप से प्रयोग हो। शिक्षा संस्थानों के शिक्षक, संकाय सदस्य, अखबारों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के लेखन में लगे हुए लोग मानकीकृत शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें। नये विकसित किये गये शब्दकोषों और शब्द संग्रहों के प्रचार–प्रसार के लिए निरन्तर कार्य करते रहें ताकि उनका विस्तार होता रहे।

नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करने में भाषाओं को मजबूत करने से देश मजबूत होगा। देश की उन्नति होगी। ज्ञान का विकास होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सभी भाषाओं को सम्मान मिलने से तथा सभी भाषाओं में काम होने से एकता की भावना विकसित होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, अध्याय 22, भारतीय भाषाओं का संवर्धन और प्रसार, पृ0 544
2. भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, प्रो0 एस0पी0 गुप्ता, भाषा समस्या एवं त्रिभाषा सूत्र, पृ0 618, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ0 नगेन्द्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली, पृ0 461
4. हिन्दी भाषा का विकास, डॉ0 रामकिशोर शर्मा, इण्डिया बुक एजेन्सी, इलाहाबाद पृ0 177
5. हिन्दी भाषा का विकास, डॉ0 रामकिशोर शर्मा, इण्डिया बुक एजेन्सी, इलाहाबाद पृ0द 175
6. हिन्दी भाषा का विकास, डॉ0 रामकिशोर शर्मा, इण्डिया बुक एजेन्सी, इलाहाबाद पृ0 175
7. हिन्दी भाषा का विकास, डॉ0 रामकिशोर शर्मा, इण्डिया बुक एजेन्सी, इलाहाबाद पृ0 175
8. भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, प्रो0 एस0पी0 गुप्ता, भाषा समस्या एवं त्रिभाषा सूत्र, शारदा पुस्तक भवन, पृ0 628
9. भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें प्रो0 एस0पी0 गुप्ता, भाषा समस्या एवं त्रिभाषा सूत्र, शारदा पुस्तक भवन, पृ0 628
10. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, 2018, अध्याय 20, पृ0 503
11. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, 2018, अध्याय 20, पृ0 503